स0 स0 14/एम 11–02/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
CISRO Hospital.
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक...........

विषयः– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक– **05.02.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमाक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अमूल चद्र पोद्दार पिता– राम चद्र पोद्दार ग्राम+पो0– साउथ कसरौर थाना– घनश्यामपुर जिला– दरभगा	ACL	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			1,70,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,70,000/– (**एक लाख सत्तर हजार**) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002587 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–39196290026 खाता धारक का नाम–KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार– बैक का नाम– स्टेट बैक आफ इडिया, शाखा का नाम–एस0बी0आई0 ग्राउड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0011675 मे अतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**
5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री**

चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 457(14) पटना, दिनाक 17/2/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 002587 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/2/26
निदेशक प्रमुख